न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

राजस्व अपील सं0 12/2016

अनवान

1. श्री गोपाल सिंह दत्तक पुत्र अर्जुनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर। ————————अपीलार्थी

बनाम

1. भरजी उर्फ बरजी पत्नी अर्जुनसिंह
2. मीरा पुत्री अर्जुनसिंह
3. चका पुत्री अर्जुनसिंह
4. मुन्नी पुत्री अर्जुनसिंह
5. पानी उर्फ पांची पुत्री अर्जुनसिंह
6. पींकू पुत्री अर्जुनसिंह
7. सीता पुत्री अर्जुनसिंह
   समस्त जाति रावत निवासी, ग्राम हाथीखेडा, तहसील व जिला–अजमेर
8. धर्मवीर सिंह राठौड पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुत निवासी सिविल लाईन, अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर। .....रेस्पोडेन्ट्स

(अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

आदेश प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र द्वारा प्रस्तुतकर्ता रेस्पों. नं.1

उपस्थितिः–

1. श्री निर्मल कुमार/नौरतमल जैन अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
2. श्री घनश्याम लखावत अभिभाषक रेस्पों.नं. 8

आदेशः–

दिनांक :– 01.08.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम हाथीखेडा तहसील अजमेर स्थित आराजी आधार खसरा नं0 1820 रकबा 0.58 हैक्टयर किस्म बारानी–3 अपीलान्ट के पिता स्व अर्जुनसिंह पुत्र कालूसिंह की खातेदारी की आराजी थी। खातेदार अर्जुनसिंह पुत्र कालुसिंह का निधन दिनांक 26.3.2007 को हो गया। खातेदार अर्जुनसिंह पुत्र कालूसिंह के वारिसान में बेवा श्रीमती भरती उर्फ बरजी एवं छः पुत्रिया रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 है। पुत्र संतान नहीं होने के कारण अपीलान्ट को रूबरू गवाहन जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 15.9.1997 को गोद लिया गया था। अपीलान्ट बचपन से अर्जुनसिंह पुत्र कालूसिंह के जीवनकाल से ही उनके साथ ही रहता आ रहा है, तथा घर परिवार जमीन जायदाद पर काबिज चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वार में प्रश्नगत आराजी के खातेदार अर्जुनसिंह के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 7 को ही बताते हुए आवेदन/शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर दिनांक 12.6.2015 को राजस्व कैम्प में नायब तहसीलदार अजमेर द्वारा विरासती नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट

जिला कलक्टर
अजमेर

यह कि अपीलांट के पिता स्व. अर्जूनसिंह पुत्र कालूसिंह की खातेदारी /काश्तकारी की आराजीयात जिसके आधार खसरा नम्बर 1820

संख्या 01 से 07 के नाम ही स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा होने के बावजूद विरासती नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम छोड दिया गया। इसी आक्षेपित विरासती नामान्तरकरण संख्या 114 दिनांक 12.6.2015 से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है

अपील दर्ज कर रेस्पों. को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट नं. 1,5,8 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ओर की ओर से दिनांक 24.2.2022 को अपील अबेट होन से खारिज फरमाये जाने का/आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति उसी दिन अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्राप्त की गई। अपीलान्ट की ओर से इसका जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 08 की ओर से भी एक प्रार्थना पत्र इन्ही तथ्यों के अपील खारिज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। दौराने सुनवाई अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित नहीं आयें। उपस्थित रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 8 के अभिभाषकगण द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हें प्रस्तुत अपील अबेट होने के प्रार्थना पत्रों पर सुना गया।

प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट्स के उपस्थित अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये मुख्यतः कथन किया कि अपीलार्थी गोपालसिंह का स्वर्गवास करीब तीन वर्ष पूर्व ही हो गया था। फौत अपीलान्ट के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत कोई आवेदन पत्र आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधिक प्रावधानों के तहत अपील अबेट हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील इसी स्तर पर इसी कदर से अबेट हो जाने से खारिज फरमाई जावें।

हमने रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 8 की अपील अबेट होने के आपत्ति प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया। रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि रेस्पोडेन्ट्स अभिभाषक द्वारा "अपील अबेट होने से निरस्त किये जाने" प्रार्थना पत्र तथ्यों की पुष्टि हेतु अपीलान्ट का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के तहत उक्त प्रार्थना पत्र तथ्यों की पुष्टि की गई है, तथा अपीलान्ट द्वारा भी इन तथ्यों का खण्डन किया जाना प्रकट नहीं है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर इसी कदर से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर